भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय,

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001

NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001

NOTIFICATION NO. 02/2017-CUSTOMS(N.T)

In exercise of the powers conferred under Section 45(1) of the Customs Act, 1962, I, Ashok, Commissioner of Customs, Tiruchirapalli, do hereby appoint "M/s. JD Shipping Logistics International Private Ltd, having Registered Office at No. 42, 1st Floor, Rajaji Salai, North Beach Road, Chennai – 600001 to be the custodian of the Customs area located at RS. No.402, Ambedkar Salai, Uppalam, Puducherry-605001 as notified by the Commissioner of Customs, Tiruchirapalli under Section 8(a)&(b) of the Customs Act, 1962 vide Notification No.01/2017 dt. 22.6.2017 for the purpose of unloading of imported cargo and loading of export cargo brought at the said premises till they are either cleared for home consumption or exported or warehoused or transhipped in accordance with the provisions of the said Act and subject to the following conditions:-

1. The Custodian of the goods meant for import and export would be required to comply with the provisions of Section 45 and other relevant Sections of the Customs Act, 1962 and Rules & Regulations made there under as well as the instructions issued from time to time in this regard.

2. The Custodian shall comply with the Regulations stipulated in "Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009" communicated vide Board's Notification No. 26/2009-Cus (N.T) dated 17.03.2009.

3. The Custodian shall provide all the infrastructure and other equipment facilities as per the above said Regulations and also to undertake to comply with responsibilities specified under the said Notification.

4. The Custodian shall provide sufficient space as prescribed by the Commissioner of Customs, Tiruchirapalli for Customs department in their cargo terminal, which shall be utilized by Trichy Customs Department for its activities. No alteration of the plan in the accommodation, boundary wall and building, etc shall be made without the concurrence of the Commissioner of Customs, Trichy.

5. The Custodian shall provide sufficient space as prescribed by the Commissioner of Customs, Trichy as office space for Customs in the sheds.

6. Uninterrupted thoroughfare shall be provided to the Customs officials in the entire premises of Customs area.

7. Residential accommodation for the Customs staff posted in the said Sea Port shall also be provided by the Custodian, wherever requisition by the Commissioner of Customs, Trichy.

8. Free suitable transport facility shall be provided by the Custodian for the Customs staff posted at the said Port.

9. The Custodian shall be responsible for any improper removal of imported/export goods and shall be liable to pay appropriate duties, Cess, etc on such improper removals.

10. The Custodian is required to provide for increase in space and in infrastructure as and when requisitioned by the Customs.

11. The Custodian given approval for Custody of imported or export goods and for handling of such goods shall not lease, gift, sell or sublet or in any other manner transfer any of the premises in a Customs area; or sub contract or outsource functions permitted or required to be carried out by him in terms of these Regulations to any other person, without the written permission of the Commissioner of Customs.

12. The Custodian shall publish and display the schedule of charges for the various services provided by him in relation to the imported goods or export goods in Customs area.

13. Duration of appointment shall initially remain for a period of 6 months from the date of issue of such approval and subject to the satisfaction of the Commissioner of Customs.

14. The Commissioner of Customs shall have the right to terminate the appointment at any time after assigning specific reasons and giving an opportunity for the Custodian to explain his case.

15. The Commissioner of Customs shall review the approval granted before the expiry of initial period of approval of 6 months and may extend such approval to a further period of 5 years at a time, provided that the Commissioner of Customs, for reasons to be recorded in writing may order for review of the approval granted before the completion of period of approval.

16. Difficulties faced, if any, in the implementation of the above facility may please be brought to the notice of the undersigned.

Place: Trichy

Date:22.06.2017

22/06/2017

(अशोक/ASHOK)

आयुक्त/COMMISSIONER

(Issued from File C.No.VIII/40/07/2017-Cus. Pol)

To,

M/s. JD Shipping Logistics International Private Limited, No. 42, 1st Floor, Rajaji Salai, North Beach Road, Chennai - 600001

Copy Submitted to:

The Chief Commissioner of Customs (Preventive), Trichy

Copy forwarded to:

1. The Secretary, CBEC, New Delhi
2. All Chief Commissioners of Customs & Central Excise

3. The Directorate of Publicity & Public Relations, Customs & C.Ex., New Delhi
4. The Manager, Government of India Press, Mayapuri, Ring Road, New Delhi
5. The Directorate General of Performance Management, Customs & Central Excise, New Delhi
6. The Directorate General of Revenue Intelligence, New Delhi
7. The Directorate General of Statistics & Intelligence, Customs & Central Excise, New Delhi
8. All Commissioners of Customs & Central Excise
9. All DCs/ACs of Customs, Trichy Customs Commissionerate
10. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi
11. The Director General of C.Ex., Intelligence, New Delhi
12. The Under Secretary to Government, Chief Secretariat (Port), Pondicherry
13. The Director of Ports, Port Department, Government of Pondicherry
14. The Under Secretary to Government, Dept of Industrial Development (Port), Pondicherry

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय,

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001

NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001

अधिसूचना सं. 02/2017 सीमा शुल्क (एन. टी)

मैं, अशोक, आयुक्त सीमा शुल्क, तिरुच्चि, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथा सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) के तहत अधिसूचित, देखें अधिसूचना संख्या 01/2017 दिनांकित 22.06.2017 उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त परिसर में लाए गए आयातित कार्गो की उतराई तथा निर्यात कार्गो की लदान के उद्देश्य हेतु उनके घरेलू खपत हेतु मंजूरी दिए जाने या निर्यात किए जाने या गोदाम में रखे जाने या यान से भेजे जाने तक मेसर्स जे.डी शिपिंग लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, नं 42, पहला तल, राजाजी सालै, नार्थ बीच रोड, चेन्नै 600 001 को आरएस नं 402, अंबेडकर सालै, उप्पलम, पुदुच्चेरी 605 001 स्थित सीमा शुल्क क्षेत्र का अभिरक्षक नियुक्त करता हूँ ।

1. माल के आयात एवं निर्यात के लिए बने अभिरक्षक को धारा 45 के उपबंधों तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्य संबंधित खंडों तथा उनके तहत बने नियम एवं विनियमों के साथ-साथ इस संबंध में समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन करना होगा।

2. अभिरक्षक को बोर्ड द्वारा संप्रेषित “सीमा शुल्क क्षेत्रों में माल की हैंडलिंग, विनियम 2009” बोर्ड की अधिसूचना संख्या 26/2009-सी.शु. (एन टी) दिनांकित 17.03.09, देखें, में निर्धारित विनियमों का अनुपालन करना होगा।

3. अभिरक्षक को उपर्युक्त विनियमों के अनुसार सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य उपकरण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए तथा उक्त अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों के अनुपालन करने का भी जिम्मा लेना है।

4. अभिरक्षक, सीमा शुल्क आयुक्त तिरुच्चि द्वारा सीमा शुल्क विभाग के लिए उनके कार्गो टर्मिनल में यथा निर्धारित पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएगा जिसका उपयोग तिरुच्चि सीमा शुल्क विभाग द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। सीमा शुल्क आयुक्त, तिरुच्चि की सहमति बिना अक्मोडेशन, सीमा दीवार, भवन इत्यादि की योजना में परिवर्तन नही किया जाएगा।

5. अभिरक्षक, सीमा शुल्क आयुक्त तिरुच्चि द्वारा निर्धारित किए अनुसार शेड में सीमा शुल्क कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएगा।

6. सीमा शुल्क क्षेत्र के संपूर्ण परिसर में सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए अबाध आम रास्ता उपलब्ध कराना है ।

7. सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुरोध किए जाने पर अभिरक्षक द्वारा उक्त समुद्री पत्तन में तैनात सीमा शुल्क स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराना होगा ।

8. उक्त समुद्री पत्तन में तैनात सीमा शुल्क स्टाफ के लिए अभिरक्षक द्वारा मुफ्त उचित परिवहन सुधिधा उपलब्ध कराना होगा ।

9. आयातित/निर्यात माल की अनुचित निकासी के लिए अभिरक्षक जिम्मेदार होगा और ऐसे अनुचित निकासी पर समुचित ड्यूटी, उपकर, आदि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

10. अभिरक्षक को सीमा शुल्क द्वारा जब कभी अनुरोध किए जाए तब अधिक जगह और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा ।

11. आयातित या निर्यात माल एवं माल की हेंडलिंग की अभिरक्षा के लिए अनुमोदित अभिरक्षक सीमा शुल्क क्षेत्र के किसी भी परिसर को, सीमा पट्टा, भेंट, बिक्री या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरण या उप संविदा या वाह्य श्रोत कार्यों की अनुमिति या इन विनियमों के संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति के पास काम का अंजाम देना, सीमा शुल्क आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना, नहीं करेगा।

12. सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता, सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित माल या निर्यात माल के संबंध में उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क की अनुसूची प्रकाशित और प्रदर्शित करेगा।

13. नियुक्ति की अवधि आरंभ में ऐसे अनुमोदन की तारीख से 6 माह की अवधि तक बनी रहेगी बशर्ते, सीमा शुल्क आयुक्त संतुष्ट हों।

14. खास कारण नियत करने तथा अभिरक्षक को अपना मामला स्पष्ट करने का मौका देने के पश्चात सीमा शुल्क आयुक्त को उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा।

15. अनुमोदन के 6 माह की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से पहले सीमा शुल्क आयुक्त, स्वीकृत अनुमोदन की समीक्षा करेंगे तथा ऐसे अनुमोदन को एक समय में पाँच वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं वशर्ते, लिखित में दर्ज कारणों हेतु, सीमा शुल्क आयुक्त, अनुमोदन की अवधि पूरी होने से पहले स्वीकृत अनुमोदन की समीक्षा के लिए आदेश दें ।

16. उपरोक्त सुविधा के कार्यान्वयन में सामने की गयी कठिनाइयॉ, यदि कोई हो, तो अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाए जाए ।

अशोक 24/06/17

(अशोक)

आयुक्त

स्थान : तिरुच्चि

दिनांक : .06.17

(फाइल संख्या सी.सं.VIII/40/07/2017 सी.शु. नीति से जारी)

सेवा में,

मेसर्स जे.डी शिपिंग लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, ने 42, पहला तल, राजाजी साले, नार्थ बीच रोड, चेन्नै 600 001

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त (निवारक), तिरुच्चि।

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
2. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त।
3. प्रचार और जन संपर्क निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली।
4. प्रबधक, भारत सरकार प्रैस, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली।
5. निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली।
6. राजस्व आसूचना महानिदेशालय, नई दिल्ली।
7. सांख्यिकी और खुपिया महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)

9. सभी उपायुक्त/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क आयुक्तालय तिरुच्चि।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
11. महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, नई दिल्ली।
12. सरकार के अवर सचिव, मुख्य सचिवालय, (पत्तन), पांडिचेरी ।
13. पोर्ट निदेशक, पोर्ट विभाग पांडिचेरी सरकार ।
14. सरकार के अवर सचिव, औद्योगिक विकाय विभाग (पत्तन), पांडिचेरी ।